[2018] 6 एस. सी. आर. 825

सुशीला अग्रवाल और ओआरएस।

वी.

राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) और ए. एन. आर.

(विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) सं। 7281-7282 2017 का)

15 मई, 2018

[कुरियन जोसेफ, मोहन एम. शांतनगौड़ा

और नवीन सिन्हा, जे. जे.]

जमानत-क्या अग्रिम जमानत कुछ समय के लिए होनी चाहिए-दो अलग-अलग विचार हैंः उनमें से एक ली है

इस बात के समर्थन में कि अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए

नियत अवधि और अन्य हैं कि अग्रिम आदेश एक सीमित अवधि के होने चाहिए-परस्पर विरोधी के आलोक में

अलग-अलग ताकत की अलग-अलग पीठ, निम्नलिखित प्रश्न

बड़ी बेंच पर ले जाया गयाः (i) क्या सुरक्षा देने वाला व्यक्ति यू / s.438 Cr.P.C. एक निश्चित अवधि तक सीमित होना चाहिए ताकि

व्यक्ति को विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने में सक्षम बनाना और

गुलर जमानत; (ii) क्या अग्रिम जमानत का जीवन वह समय और चरण होना चाहिए जब अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा तलब किया जाता है - s.438।

श्री गुरबख्श सिंह सिबिया और अन्य बनाम। पंजाब राज्य (1980) 2 एससीसी 565 [1980] 3 एससीआर 383;

सिद्धराम सतलिंगप्पा मेत्रे बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2011) 1 एस. सी. सी. 694: [2010] 15 एससीआर 201;

भद्रेश बिपिनभाई सेठ बनाम। गुजरात राज्य और

एक अन्य (2016) 1 एस. सी. सी. 152 [2015] 10 एस. सी. आर. 398; सलाउद्दीन अब्दुलसमद शेख बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1996) 1 एससीसी 667: [1995] 6 पूरक। एससीआर 556; के. एल. वर्मा बनाम राज्य और एक अन्य (1998) 9 एस. सी. सी. 328; सुनीता देवी बनाम। बिहार राज्य और एक अन्य (2005) 1 एस. सी. सी. 608: [2004] 6 पूरक। एस. सी. आर. 707; आद्री धरण दास बनाम। राज्य

डब्ल्यू. बी. (2005) 4 एस. सी. सी. 303: [2005] 2 एससीआर 188; निर्मल जीत कौर बनाम। एम. पी. राज्य और एक अन्य (2004) 7 एस. सी. सी. 558 [2004] 3 पूरक। एस. सी. आर. 1006; एच. डी. एफ. सी. बैंक

सीमित वी। जे. जे. मन्नान (2010) 1 एससीसी 679 [2009] 16 एससीआर 590; सतपाल सिंह बनाम। पंजाब राज्य (2018) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 415-संदर्भित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

[1980] 3 एससीआर 383

पै

रा 2

संदर्भित किया गया है

[2010] 15 एससीआर 201

संदर्भित किया गया है

पै

रा 3

[2015] 10 एससीआर 398

संदर्भित किया गया है

पै

रा 3

[1995] 6 पूरक। एससीआर 556

संदर्भित किया गया है

पै

रा 4

(1998) 9 एससीसी348

संदर्भित किया गया है

पै

रा 4

[2004] 6 पूरक। एससीआर 707

पै

रा 4

संदर्भित किया गया है

[2005] 2 एससीआर 188

पै

रा 4

संदर्भित किया गया है

[2004] 3 पूरक। एससीआर 1006

संदर्भित किया गया है

पै

रा 4

[2009] 16 एससीआर 590

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5

आपराधिक अपील

न्यायनिर्णयः विशेष अवकाश

2017 की याचिका (आपराधिक) संख्या 7281-7282।

दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 02.08.2017 आदेश से

2017 की बीए संख्या 1415 में नई दिल्ली।

विक्रमजीत बनर्जी, ए. एस. जी., एच. पी. रावल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री गीता

लूथरा, निपुण सक्सेना, आदित्य पी. अरोड़ा, सुश्री दिव्या आनंद, अभय कुमार, विनीत कुमार सिंह, सौरभ मिश्रा, प्रणय रंजन, सी. के. सुचरिता, संजय के. त्यागी, आयुष आनंद, शुभेंदु आनंद, सुश्री श्रुति अग्रवाल, उज्ज्वल जैन, प्रतीक यादव, बी. वी. बलराम दास, सी. एस. एन. मोहन राव, लोकेश कुमार शर्मा और बी. क्रांति कुमार, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

कुरियन, जे. 1. क्या अग्रिम जमानत एक के लिए होनी चाहिए

हमारे सामने सीमित अवधि का मुद्दा है जिस पर दो अलग-अलग विचार हैं।

2. निर्णयों की पंक्ति कि अग्रिम जमानत एक के लिए नहीं होनी चाहिए

सीमित अवधि श्री गुरबख्श सिंह सिबिया और अन्य बनाम मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले पर अपनी निर्भरता रखती है। पंजाब राज्य 1.

1 (1980) 2 एस. सी. सी. 565 सुशीला अग्रवाल और ओ. आर. एस. वी. राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [कुरियन, जे.]

3. सिद्धराम सतलिंगप्पा मेत्रे बनाम। महाराष्ट्र राज्य

और अन्य 2 अग्रिम जमानत के दायरे और उद्देश्य पर दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा एक बहुत ही विस्तृत निर्णय है। मेत्रे (ऊपर) में, इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि संविधान पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय द्वारा दी गई अग्रिम जमानत सामान्य रूप से मामले की सुनवाई तक जारी रखी जानी चाहिए। उद्धृत करने के लिए:

" 94. कार्रवाई का उचित तरीका यह होना चाहिए कि इसके बाद

अभिलेख पर उपलब्ध कथनों और आरोपों का मूल्यांकन करना यदि अदालत अग्रिम जमानत देने के लिए इच्छुक है तो अंतरिम जमानत

लोक अभियोजक को मंजूरी दी जाए और नोटिस जारी किया जाए। इसके बाद लोक अभियोजक को सुन कर अदालत या तो जमानत को अस्वीकार कर सकती है

आवेदन करें या जमानत देने के प्रारंभिक आदेश की पुष्टि करें। अदालत ने

जमानत। लोक अभियोजक या शिकायतकर्ता स्वतंत्र होंगे। रद्द करने या संशोधित करने के लिए उसी अदालत का रुख करना

यदि अदालत द्वारा दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया जाता है तो किसी भी समय जमानत की शर्तें।

अदालत द्वारा दी गई जमानत आम तौर पर तब तक जारी रखी जानी चाहिए जब तक कि

मामले की सुनवाई।

95. सीमित अवधि के लिए अग्रिम जमानत देने का आदेश

और उसके बाद अभियुक्त को आत्मसमर्पण करने और एक के लिए आवेदन करने का निर्देश देना नियमित जमानत विधायी इरादे और फैसले के विपरीत है।

सिबिया मामले में संविधान पीठ "।

(जोर दिया गया)

मेत्रे में इस निर्णय का पालन हाल ही में भद्रेश में किया गया था

बिपिनभाई सेठ बनाम। गुजरात राज्य और अन्य 3.

4. निर्णयों की दूसरी पंक्ति यह है कि अग्रिम जमानत के आदेश

यह सीमित अवधि का होना चाहिए। सलाउद्दीन अब्दुलसमद शेख बनाम। महाराष्ट्र राज्य तीन न्यायाधीशों की पीठ के पहले के फैसलों में से एक है। यह सच है कि सिबिया के मामले (ऊपर) में संविधान पीठ का कोई

संदर्भ नहीं है। हालाँकि, अग्रिम जमानत की अवधारणा पर चर्चा करते हुए, इस न्यायालय ने यह विचार रखा किः

किसी भी व्यक्ति के पास यह मानने का कारण है कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है गैर-जमानती अपराध करने का आरोप, उच्च न्यायालय

2 (2011) 1 एस. सी. सी. 694

3 (2016) 1 एससीसी 152

4 (1996) 1 एससीसी 667 [2018] 6 एस. सी. आर.

न्यायालय या सत्र न्यायालय, यदि वह उचित समझता है, निर्देश दे सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसे जमानत पर रिहा किया जाएगा और उस आदेश को पारित करते समय, इसमें विशेष मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ऐसी शर्तें शामिल हो सकती हैं, जो वह उचित समझे। अग्रिम जमानत गैर-जमानती मामलों में गिरफ्तारी की प्रत्याशा में दी जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नियमित अदालत, जो अपराधी पर मुकदमा चलाने के लिए है, को दरकिनार किया जाना चाहिए और यही कारण है कि उच्च न्यायालय ने बहुत सही तरीके से गिरफ्तारी के लिए बाहरी तारीख तय की है।

जमानत जारी रखने और इसकी समाप्ति की तारीख पर याचिकाकर्ता को जमानत के लिए नियमित अदालत का रुख करने का निर्देश दिया। यह पालन करने के लिए सही प्रक्रिया है क्योंकि यह महसूस किया जाना चाहिए कि जब सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय अग्रिम जमानत दे रहा है, तो यह यह उस स्तर पर दिया जाता है जब जांच अधूरी होती है और इसलिए, इसे कथित अपराधी के खिलाफ साक्ष्य की प्रकृति के बारे में सूचित नहीं किया जाता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि इस तरह के अग्रिम जमानत आदेश केवल एक सीमित अवधि के होने चाहिए और आम तौर पर उस अवधि या विस्तारित अवधि की समाप्ति पर अग्रिम जमानत देने वाली अदालत को जांच की प्रगति या आरोप के बाद उसके सामने रखे गए साक्ष्य के मूल्यांकन पर मामले से निपटने के लिए इसे नियमित अदालत पर छोड़ देना चाहिए।

पत्रक प्रस्तुत किया जाता है।

3. यह महसूस किया जाना चाहिए कि हत्या जैसे गंभीर प्रकृति के मामलों में भी अग्रिम जमानत का आदेश प्राप्त किया जा सकता है और इसलिए, यह आवश्यक है कि उस आदेश की अवधि सीमित होनी चाहिए और आम तौर पर अग्रिम जमानत देने वाली अदालत को मूल अदालत का स्थान नहीं लेना चाहिए जिससे अपराध से निपटने की उम्मीद की जाती है। यह वह अदालत है जिसे तब इस बात पर विचार करना है कि क्या उसके समक्ष रखी गई सामग्री को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त

व्यक्ति जमानत का हकदार है।

के. एल. वर्मा बनाम में भी इस दृष्टिकोण का पालन किया गया है। राज्य और संख्या 3, सुनीता देवी बनाम। बिहार राज्य और दूसरा, आद्री धरण-। डब्ल्यू. बी. 7 की स्थिति के. एल. वर्मा (ऊपर) में, 1 दिन (ऊपर) का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 3. हमने 9-10-1996 और 11-10-1996 दोनों आदेशों की सावधानीपूर्वक जांच की है और अभियुक्त के वकील को भी सुना है

5) 1 एस. सी. सी. 608

5) 4 एस. सी. सी. 303 उषा अग्रवाल और ओ. आर. एस. वी. राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [कुरियन, जे.]

साथ ही सी. बी. आई. के वकील के रूप में और हमारी राय है कि उच्च न्यायालय के लिए उचित मार्ग मंजूरी की आवश्यकता के प्रश्न पर निर्णय लेना था और यदि उच्च न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता था, तो उस महत्वपूर्ण प्रश्न के आने तक आगे की कार्यवाही पर रोक लगा देना था।

जवाब दिया। दिनांकित 9-10-1996 आदेश से उत्पन्न होने वाले दूसरे प्रश्न पर, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने सलाउद्दीन अब्दुलसमद शेख बनाम मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। महाराष्ट्र राज्य एक ऐसा मामला था जिसमें उच्च न्यायालय ने अंतरिम अग्रिम जमानत देते समय कुछ शर्तें लगाई थीं, जिनमें से एक यह थी कि अभियुक्त को उस न्यायालय के समक्ष नियमित जमानत के लिए आगे बढ़ना चाहिए जो उसके खिलाफ लंबित मामले में विचाराधीन था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि आवेदन होना चाहिए

पहले के क्रम में की गई टिप्पणियों से अप्रभावित। उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका का निर्देश दिया गया था। उस आदेश पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि संहिता की धारा 438 के तहत, जब कोई व्यक्ति यह मानने का कारण है कि उसे गैर-जमानती अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय, यदि वह उचित समझता है, तो निर्देश दे सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसे जमानत पर रिहा किया जाएगा और उस आदेश को पारित करने में, इसमें ऐसी शर्तें शामिल हो सकती हैं जो वह उचित समझे। इस अदालत ने आगे कहा कि अग्रिम जमानत दी जाती है

गैर-जमानती मामलों में गिरफ्तारी की प्रत्याशा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नियमित अदालत, जो अपराधी पर मुकदमा चलाने के लिए है, को दरकिनार किया जाना चाहिए। इसलिए यह इंगित किया गया कि यह आवश्यक था कि इस तरह के अग्रिम जमानत आदेश केवल एक सीमित अवधि के होने चाहिए और आम तौर पर उस अवधि या विस्तारित अवधि की समाप्ति पर अग्रिम जमानत देने वाली अदालत को जांच की प्रगति या आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद उसके सामने रखे गए साक्ष्य के मूल्यांकन पर मामले से निपटने के लिए इसे नियमित अदालत पर छोड़ देना चाहिए। इसके द्वारा, न्यायालय जो बताना चाहता था वह यह था कि अग्रिम जमानत का आदेश तब तक लागू नहीं होता जब तक कि मुकदमे का अंत लेकिन यह सीमित अवधि का होना चाहिए क्योंकि नियमित न्यायालय को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। सीमित अवधि का निर्धारण मामले के तथ्यों और अभियुक्त को जमानत के लिए नियमित अदालत में जाने और नियमित अदालत को जमानत निर्धारित करने के लिए पर्याप्त समय देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

आवेदन। दूसरे शब्दों में, जब तक जमानत याचिका का किसी न किसी तरह से निपटारा नहीं हो जाता, तब तक अदालत अभियुक्त को [2018] 6 एस. सी. आर. बने रहने की अनुमति दे सकती है।

अग्रिम जमानत पर। इसे अलग तरह से रखने के लिए, अग्रिम जमानत हो सकती है

उस अवधि के लिए दिया जाता है जो उस तारीख तक विस्तारित हो सकती है जिस पर जमानत आवेदन का निपटारा किया जाता है या उसके कुछ दिनों बाद भी

अभियुक्त व्यक्तियों को उच्च न्यायालय में जाने में सक्षम बनाएँ, यदि वे ऐसा करते हैं। इच्छा। इस निर्णय का उद्देश्य यह बताना नहीं था कि जितनी जल्दी हो सके

अभियुक्त व्यक्तियों को नियमित अदालत के समक्ष पेश किया जाता है

अग्रिम जमानत समाप्त हो जाती है भले ही अदालत ने अभी तक सवाल का फैसला नहीं किया हो

समझ में आ गया। निर्मल जीत कौर बनाम। एम. पी. राज्य और अन्य 3, के. एल.

a (ऊपर) जहाँ तक यह कहा गया है कि ".. या उसके कुछ दिनों बाद भी।

अभियुक्त व्यक्तियों को उच्च न्यायालय का रुख करने में सक्षम बनाना, यदि वेई. "के तहत वैधानिक आवश्यकता के साथ टकराव में माना गया था

439 पर। उद्धृत करने के लिए:

" 13. हमारे अनुसार धूसर क्षेत्र का निम्नलिखित भाग है

के. एल. वर्मा मामले में निर्णय "या उसके कुछ दिनों बाद भी

अभियुक्त व्यक्तियों को उच्च न्यायालय में जाने में सक्षम बनाएँ, यदि वे ऐसा करते हैं।

इच्छा "।

XXX

XXX

XXX

XXX

20. सलाउद्दीन मामले में भी इस न्यायालय ने कहा कि

जमानत के लिए अदालत जाना पड़ता है। जाहिर है, एक आवेदन के तहत

संहिता की धारा 439 इस तरह से होनी चाहिए -

कानून और धारा 439 के तहत उपचार की मांग करने वाले अभियुक्त को यह सुनिश्चित करना कि अदालत के लिए इससे निपटना वैध होगा

आवेदन। जब तक कि आवेदक हिरासत में नहीं है, उसका आवेदन करना केवल संहिता की धारा 439 के तहत अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं किया जाएगा

जिस न्यायालय में आवेदन किया जाता है। के बारे में दृष्टिकोण

उच्च न्यायालय को "स्थानांतरित" करने के लिए समय का विस्तार के. एल. वर्मा मामले में निर्णय के रूप में माना जाना चाहिए

इनक्यूरियम के अनुसार प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि कोई संदर्भ नहीं दिया गया था

धारा 439 में अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने की आवश्यकता है। राज्य में वी। रतन लाल अरोड़ा ने यह अभिनिर्धारित किया कि जहां एक मामले में

निर्णय वैधानिक प्रतिबंधों के संदर्भ के बिना दिया गया है,

उसी का कोई पूर्ववर्ती मूल्य नहीं हो सकता है और होना चाहिए

इनक्यूरियम के अनुसार प्रस्तुत किया गया माना जाता है। वर्तमान मामला यदि नहीं, तो बेहतर स्थिति में खड़ा है। धारा के प्रावधान

439 ऐसा प्रतीत होता है कि इस पर ध्यान नहीं दिया गया है।

4) 7 एस. सी. सी. 558 उषा अग्रवाल और ओ. आर. एस. वी. राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [कुरियन, जे.]

XXX

XXX

XXX

XXX

23. यदि धारा 438 की सुरक्षात्मक छतरी को बढ़ाया जाता है

धारा 439 में जो अनिवार्य है, उसे स्पष्ट रूप से दरकिनार किया जाए। अभिरक्षा। दूसरे शब्दों में, जब तक आवेदक उपचार का लाभ नहीं उठाता

उच्च न्यायालयों में, धारा 439 की आवश्यकताएं मृत पत्र बन जाती हैं।

कानून के किसी भी हिस्से को इस तरह से निरर्थक नहीं बनाया जा सकता है। 5. इस न्यायालय ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड बनाम. जे. जे. मन्नान ने

संविधान पीठ के निर्णय पर आधारित एक विवाद के लिए लालआई. ए. (ऊपर) और फिर भी इसने यह विचार लिया है कि 438 के तहत संरक्षण केवल तब तक है जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती और आरोप पत्र दायर नहीं किया जाता है।

पैराग्राफ 14 और 18 से 20 को उद्धृत करने के लिए:

" 14. संविधान पीठ के निर्णय का उल्लेख करते हुए

गुरबख्श सिंह सिबिया बनाम। पंजाब राज्य, जिसमें

धारा 438 सी. आर. पी. सी. के अनुप्रयोग पर विस्तार से विचार किया गया था,

श्री दत्ता ने प्रस्तुत किया कि उक्त प्रावधान की व्याख्या की गई थी

व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी से संबंधित एक लाभकारी प्रावधान होना

संविधान की धारा 21 के तहत। श्री दत्ता ने प्रस्तुत किया कि

संविधान पीठ ने कहा था कि चूंकि जमानत राशि से इनकार किया गया है

व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए, अदालत को इसके खिलाफ झुकना चाहिए

धारा के दायरे पर अनावश्यक प्रतिबंधों का अधिरोपण 438 सीआरपीसी।

XXX

XXX

XXX

XXX

18. इसके अलावा, यह भी लगातार संकेत दिया गया है कि

अभियुक्त को इस संबंध में गिरफ्तार होने से रोकें मामला। इस तरह की घटना से बचने के लिए इसे अदरी में देखा गया था।

धरण दास मामला कि अग्रिम जमानत एक सीमित अवधि के लिए दी जाती है

अभियुक्त को आत्मसमर्पण करने और नियमित प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए अवधि

जमानत। सलाउद्दीन के मामले में भी यही विचार दोहराया गया था।

अन्य बातों के साथ-साथ यह भी देखा गया कि अग्रिम जमानत सीमित होनी चाहिए केवल और मुख्य रूप से उस अवधि की समाप्ति पर या

विस्तारित अवधि, अग्रिम जमानत देने वाली अदालत को छोड़ देना चाहिए

जाँच के बाद उसके सामने रखे गए साक्ष्य ने प्रगति की है या आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाता है।

19. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के उद्देश्य को बार-बार समझाया गया है।

इस न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति को शिकायत को संतुष्ट करने के लिए परेशान या अपमानित नहीं किया जाना चाहिए या

शिकायतकर्ता का व्यक्तिगत प्रतिशोध। लेकिन साथ ही साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के प्रावधानों को भी अभियुक्त को जाँच पूरी होने के बाद और उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर होने पर अदालत में आत्मसमर्पण करने से छूट देने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। इस तरह की व्याख्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के प्रावधानों के लिए हिंसा होगी, क्योंकि भले ही किसी आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा सकता है और उसके खिलाफ आरोप तय किया जा सकता है, फिर भी वह मुकदमे के दौरान भी अदालत में बिल्कुल भी पेश नहीं हो सकता है।

जाँच करें और एक अभियुक्त के लिए एक तंत्र प्रदान करें जमानत पर रिहा होने की अवधि के दौरान उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए

जांच पड़ताल की। एक बार जब जाँच में उसके खिलाफ मामला सामने आ जाता है और उसे आरोप पत्र में एक आरोपी के रूप में शामिल किया जाता है, तो आरोपी को अदालत की हिरासत में आत्मसमर्पण करना पड़ता है और नियमित जमानत के लिए प्रार्थना करनी होती है। अग्रिम जमानत देने के आदेश के बल पर, एक आरोपी जिसके खिलाफ आरोप तय किया गया है, उससे बच नहीं सकता है।

21. यदि अपीलार्थी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी 1 कभी भी विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है, तो स्वीकार किया, यह बेतुकी स्थिति की ओर ले जाएगा कि आरोपी के खिलाफ उसकी अनुपस्थिति में आरोप लगाया गया था, जो बहुत ही हार जाएगा

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 240 की उप-धारा (2) का उद्देश्य।

6. सतपाल सिंह बनाम. पंजाब राज्य 1 ने पैराग्राफ 14 में कहाः

" 14. किसी भी मामले में, धारा 438, Cr.P.C के तहत सुरक्षा केवल तब तक आरोपी के लिए उपलब्ध है जब तक कि अदालत आरोप पत्र (धारा 173 (2), Cr.P.C के तहत रिपोर्ट) के आधार पर आरोपी को तलब नहीं करती है। इस तरह की उपस्थिति पर, आरोपी को नियमित जमानत लेनी होती है धारा 439 Cr.P.C. और उस आवेदन पर न्यायालय द्वारा अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। केवल इसलिए कि कोई अभियुक्त धारा 438 Cr.P.C के तहत दी गई अग्रिम जमानत के संरक्षण में था. इसका मतलब यह नहीं है कि वह स्वतः ही धारा 439 Cr.P.C के तहत नियमित जमानत का हकदार है। धारा 438 Cr.P.C के तहत सुरक्षा देने के लिए अदालत की संतुष्टि नियमित जमानत पर विचार करते समय धारा 439 Cr.P.C के तहत दी गई जमानत से अलग है।

3) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 415 जिला अग्रवाल और ओ. आर. एस. वी. राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली)

[कुरियन, जे।]

7. यह इंगित करना प्रासंगिक है कि सिबिया (ऊपर) पर निर्भरता रखते हुए,

मेत्रे (ऊपर) में न्यायाधीश पीठ ने यह रुख अपनाया है कि

सलाउद्दीन (ऊपर), K.L.Verma (ऊपर), आद्री धरण दास में आयन

क) और सुनीता देवी (ऊपर) इनक्यूरियम के अनुसार हैं। उद्धृत करने के लिए:

" 123. द्वारा निर्धारित कानून की स्पष्ट घोषणा को देखते हुए

सिबिया मामले में संविधान पीठ, इसे सीमित करना उचित नहीं होगा

अग्रिम जमानत का जीवन। जब न्यायालय ने कहा कि

अग्रिम जमानत सीमित अवधि के लिए होती है और उसके बाद आरोपी

जमानत के लिए नियमित अदालत में आवेदन करना चाहिए, जिसका अर्थ है जीवन

उस सीमित अवधि के बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 समाप्त हो जाएगी।

इस सीमा की परिकल्पना विधायिका द्वारा नहीं की गई है। द.

सिबिया मामले में संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसा नहीं है

धारा 438 सी. आर. पी. सी. को फिर से लिखना आवश्यक है। अतः इस दृष्टि से कि

संविधान पीठ द्वारा कानून की स्पष्ट घोषणा, का जीवन

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत जमानत देने के आदेश में कटौती नहीं की जा सकती है।

124. संविधान पीठ के निर्णय का अनुपात

सिबिया मामला शायद उनके ध्यान में नहीं लाया गया था

लॉर्डशिप्स जिन्होंने सलाउद्दीन अब्दुलसमद के मामलों का फैसला किया था

शेख वी। महाराष्ट्र राज्य, के. एल. वर्मा बनाम राज्य, अद्री

धरण दास बनाम। डब्ल्यू. बी. राज्य और सुनीता देवी बनाम। बिहार राज्य।

125. नरेश कुमार यादव बनाम। रवींद्र कुमार एक दो

इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ ने कहाः (एस. सी. सी पी. 632 डी)

" दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्ति है -

चरित्र में कुछ असाधारण और यह [होना चाहिए]

प्रयोग किया जाता है] केवल असाधारण मामलों में।

यह दृष्टिकोण विधायी इरादे के विपरीत है और

सिबिया मामले में संविधान पीठ का निर्णय।

XXX

XXX

XXX

XXX

127. पैरा 124 में उल्लिखित निर्णय और आदेश और

125 स्पष्ट रूप से संविधान द्वारा घोषित कानून के विपरीत हैं।

सिबिया मामले में इस न्यायालय की पीठ 1. ये निर्णय और आदेश ये विधायी इरादे के भी विपरीत हैं। अदालत ने नहीं किया

धारा 438 सी. आर. पी. सी. को फिर से लिखने में उचित ठहराया जाए।

XXX

XXX

XXX

138. अंग्रेजी और भारतीय कानून का विश्लेषण स्पष्ट रूप से इस अप्रतिरोध्य निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि न केवल एक बड़े कानून का निर्णय।

शक्ति कम शक्ति के निर्णय पर बाध्यकारी है लेकिन समान शक्ति का निर्णय भी समान शक्ति के न्यायाधीशों की पीठ पर बाध्यकारी है। तत्काल मामले में, पैरा 124 और 125 में उल्लिखित निर्णय इस न्यायालय के दो या तीन न्यायाधीशों द्वारा दिए जाते हैं। इन फैसलों ने सिबिया मामले में इस अदालत के संविधान पीठ के फैसले को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के सभी पहलुओं के साथ। नतीजतन, इस निर्णय के पैरा 124 और 125 में उल्लिखित निर्णय इनक्यूरियम के अनुसार हैं।

8. विद्वान वरिष्ठ वकील और न्यायमित्र श्री हरिन पी. रावल प्रस्तुत करते हैं कि दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं के आलोक में

इस मामले पर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार करने की आवश्यकता है। उनके अनुसार सिबिया (ऊपर) में संविधान पीठ भी इतने शब्दों में यह नहीं कहती है कि

एक प्रस्ताव कि अग्रिम जमानत का संरक्षण मुकदमे के समापन तक एक आरोपी के लिए उपलब्ध है। 9. दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमारा प्रथम दृष्टया यह विचार है कि सिबिया (ऊपर) में संविधान पीठ ने यह कानून निर्धारित नहीं किया है कि एक बार अग्रिम जमानत मिलने के बाद, यह अग्रिम है।

हमेशा के लिए जमानत।

10. सिबिया (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अग्रिम जमानत की अवधि के प्रश्न पर संक्षिप्त रूप से विचार किया है। हमें ऐसा लगता है कि चर्चा मुख्य रूप से

पूर्व-एफ. आई. आर. चरण में अग्रिम जमानत देने से संबंधित (नीचे उद्धृत पैराग्राफ 43 देखें)। ऐसा प्रतीत होता है कि सिबिया (ऊपर) में संकेत हैं कि अग्रिम जमानत एक सीमित अवधि के लिए हो सकती है। पैराग्राफ 19,40,42 और 43 को उद्धृत करने के लिए:

" 19. ..... धारा 438 (1) के तहत राहत देते समय धारा 438 (2) के तहत उचित शर्तें लगाई जा सकती हैं ताकि निर्बाध जांच सुनिश्चित की जा सके। ऐसी शर्तों में से एक यह भी हो सकती है कि पुलिस द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत संभावित खोज का मामला बनाने की स्थिति में, जमानत पर रिहा व्यक्ति को खोज को सुविधाजनक बनाने के लिए पुलिस हिरासत में लिया जा सकता है। इसके अलावा, यदि और जब अवसर आता है, तो अभियोजन पक्ष के लिए धारा के लाभ का दावा करना संभव हो सकता है।

27 यू. पी. v. राज्य में इस न्यायालय द्वारा बताए गए सिद्धांत को लागू करके जमानत पर रिहा किए गए व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसरण में किए गए तथ्यों की खोज के संबंध में साक्ष्य अधिनियम।

उषा अग्रवाल और ओ. आर. एस. वी. राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [कुरियन, जे.]

देवमन उपाध्याय ने इस प्रभाव से कि जब कोई व्यक्ति जो हिरासत में नहीं है, किसी अपराध की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी के पास जाता है और जानकारी देने की पेशकश करता है जिससे किसी तथ्य का पता चलता है, जो उसके खिलाफ लगाए गए आरोप पर असर डालता है, तो उसे उचित रूप से माना जा सकता है इसलिए उसने खुद को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। इस नियम की व्यापक नींव यह बताई गई है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 46 किसी भी औपचारिकता पर विचार नहीं करती है। इससे पहले कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाएः किसी व्यक्ति द्वारा शब्द या कार्य द्वारा अभिरक्षा के अधीनता पर्याप्त है। इसी तरह के कारणों से, हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि अग्रिम जमानत को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए यदि जांच एजेंसी द्वारा संहिता की धारा 167 (2) के तहत अपराधी को पुलिस हिरासत में भेजने के लिए एक वैध मामला बनाया जाता है।

XXX

XXX

XXX

XXX

40. हमने कहा है कि एक प्रस्ताव तैयार किया गया है

गिरफ्तार किया गया असली है। यही कारण है कि, आम तौर पर, धारा 438 (1) के तहत इस आशय का निर्देश जारी नहीं किया जाना चाहिए कि आवेदक को "जब भी किसी भी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाए" तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। जो भी हो "। अग्रिम जमानत के 'पूर्ण आदेश' का यही अर्थ है, एक ऐसा आदेश जो वास्तव में किसी भी और हर प्रकार की कथित गैरकानूनी गतिविधि को कवर करने या बचाने के लिए एक पूर्ण आदेश के रूप में कार्य करता है।

ऐसी कोई भी घटना, जिसकी संभावना या संभावना नहीं है, जिसके बारे में संभवतः कोई ठोस जानकारी नहीं हो सकती है। धारा 438 (1) के तहत निर्देश का औचित्य आवेदक का यह विश्वास है कि उसे गैर-जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। किसी दीवानी मामले में अभिवचन की सावधानी के साथ आवेदक से अपना आवेदन तैयार करने की अपेक्षा करना अवास्तविक है और यह धारा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आवेदक द्वारा विशिष्ट घटनाओं और तथ्यों का खुलासा किया जाना चाहिए ताकि अदालत को उसके विश्वास की तर्कसंगतता का न्याय करने में सक्षम बनाया जा सके, जिसका अस्तित्व धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग का अनिवार्य कारण है।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

XXX

XXX

XXX

XXX

42. हमारे सामने कुछ छोटी-मोटी बातों पर चर्चा हुई थी

धारा 438 (1) के तहत जमानत आदेश पारित करने के संबंध में तौर-तरीके। क्या लोक अभियोजक को नोटिस दिए बिना धारा के तहत जमानत का आदेश पारित किया जा सकता है? हो सकता है। लेकिन लोक अभियोजक या सरकारी अधिवक्ता को तुरंत नोटिस जारी किया जाना चाहिए। और जमानत के प्रश्न की पक्षकारों की संबंधित दलीलों के आलोक में फिर से जांच की जानी चाहिए। विज्ञापन अंतरिम आदेश को भी अनुभाग की आवश्यकताओं के अनुरूप और उपयुक्त होना चाहिए।

उस स्तर पर भी आवेदक पर शर्तें लगाई जानी चाहिए।

क्या धारा 438 (1) के तहत पारित आदेश का संचालन समय के साथ सीमित होना चाहिए? जरूरी नहीं है। अदालत, यदि ऐसा करने के कारण हैं, तो आदेश के संचालन को सीमित कर सकती है।

आदेश द्वारा कवर किए गए मामले के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद तक की अवधि। ऐसे मामलों में आवेदक को उपरोक्त एफ. आई. आर. दर्ज करने के बाद कम समय के भीतर संहिता की धारा 437 या 439 के तहत जमानत का आदेश प्राप्त करने का निर्देश दिया जा सकता है। लेकिन इसका पालन एक अपरिवर्तनीय नियम के रूप में करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य नियम यह होना चाहिए कि समय की अवधि के संबंध में आदेश के संचालन को सीमित न किया जाए।

43. पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस न्यायालय ने सुनवाई करते हुए

यदि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत कोई खोज की जानी है या यदि ऐसी खोज की जानी है तो उसे खुद को आत्मसमर्पण करने वाला माना जाना चाहिए, तो कुछ समय के लिए खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दें। कुछ असाधारण मामलों में, अदालत ने अपने समक्ष रखी गई सामग्री को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया है कि अग्रिम जमानत का आदेश आदेश के दायरे में आने वाले मामलों के संबंध में प्राथमिकी दर्ज होने तक केवल एक सप्ताह या उससे अधिक समय तक ही लागू रहेगा। कुल मिलाकर, इन आदेशों ने संतोषजनक रूप से काम किया है, जिससे संबंधित व्यक्तियों को कम से कम असुविधा हुई है और पुलिस के जांच अधिकारों में कम से कम हस्तक्षेप हुआ है। अदालत ने उन आदेशों के माध्यम से व्यक्ति के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और पुलिस के जांच अधिकार। जिन अपीलार्थियों को विभिन्न अदालतों जे. एस. आई. एल. ए. ए. ए. जी. ए. आर. ए. एल. एंड ओ. आर. एस. द्वारा अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

वी. राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [कुरियन, जे.]

लंबे समय से इस न्यायालय द्वारा धारा 438 (1) के तहत रिहा किए गए हैं। कोड का "।

(जोर दिया गया)

11. विभिन्न पीठों के परस्पर विरोधी विचारों के आलोक में

एन. जी. ताकत, हमारी राय है कि कानूनी स्थिति होनी चाहिए

औपचारिक रूप से स्पष्ट और असंदिग्ध शब्दों में बसाया गया। इसलिए हम

एक बड़ी पीठ द्वारा विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न -

(1) क्या धारा के तहत किसी व्यक्ति को दिया गया संरक्षण

व्यक्ति जिसे विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करना है और नियमित माँग करनी है जमानत।

(2) क्या अग्रिम जमानत का जीवन उस समय समाप्त होना चाहिए

और मंच जब अभियुक्त को अदालत द्वारा बुलाया जाता है।

12. तदनुसार, हम रजिस्ट्री को पहले कागजात रखने का निर्देश देते हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश।

मामले बड़ी पीठ को संदर्भित किए जाते हैं।

ज्ञान [2018] 6 एस. सी. आर. 838

अमृत पॉल सिंह और ए. एन. आर.

वी.

टाटा एयरलाइंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। लिमिटेड। & ओआरएस।

(2018 की सिविल अपील No.2253)

17 मई, 2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई और ए. एम. खानविलकर, जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988। 166 - अपीलार्थी संख्या 2 के घातक दुर्घटना ट्रक ने पीड़ित की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित को कई चोटें आईं और उसकी मृत्यु हो गई-एम. ए. सी. टी. के समक्ष मुआवजे के लिए दावा-न्यायाधिकरण ने कहा कि बीमाकर्ता उत्तरदायी नहीं था, हालांकि, बीमाकर्ता द्वारा ब्याज के साथ मुआवजे की राशि का भुगतान करने के निर्देश के साथ वाहन के मालिक और चालक से उसी की वसूली करने का निर्देश दिया-आयोजितः अभिलेख पर लाई गई सामग्री से यह स्पष्ट है कि दुर्घटना के समय वाहन के पास परमिट नहीं था-बिना परमिट के किसी स्थान पर वाहन का उपयोग करना एक मौलिक वैधानिक उल्लंघन है-बीमित व्यक्ति द्वारा यह साबित करने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था कि उसके पास वाहन का परमिट था-ऐसी स्थिति में,

बीमाकर्ता पर जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती है-इसलिए, न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने बीमाकर्ता को सही भुगतान करने का निर्देश दिया था

दावेदारों को मुआवजे की राशि ब्याज के साथ इस शर्त के साथ दी जाएगी कि बीमाकर्ता मालिक और चालक से उसी की वसूली करने का हकदार होगा-सिद्धांत/सिद्धांत-भुगतान और वसूली सिद्धांत।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः बीमाकर्ता ने दलील दी थी कि विचाराधीन वाहन के पास कोई परमिट नहीं था। किसी भी प्रकृति के परमिट का अस्तित्व दस्तावेजी साक्ष्य का विषय है। बीमित व्यक्ति द्वारा यह साबित करने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है कि उसके पास वाहन का परमिट था। ऐसी स्थिति में बीमाकर्ता पर जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती है। इसलिए न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी निर्देश दिया था बीमाकर्ता दावेदारों को इस शर्त के साथ मुआवजे की राशि का भुगतान करेगा कि बीमाकर्ता मालिक और चालक से उसी की वसूली करने का हकदार होगा। उक्त निर्देश स्वर्ण सिंह और वेतन और वसूली सिद्धांत से संबंधित अन्य मामलों में बताए गए सिद्धांतों के अनुरूप हैं। [पैरा 23] [851-एफ-एच]

838 अमृत पॉल सिंह और ए. एन. आर. वी. टाटा एयरलाइंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। लिमिटेड। & ओआरएस।

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह और अन्य

(2004) 3 एससीसी 297: [2004] 1 एस. सी. आर. 180-पर निर्भर।

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम चल्ला भरतम्मा और

अन्य (2004) 8 एस. सी. सी. 517: [2004] 4 पूरक। एससीआर

587 ; अशोक कुमार खेमक बनाम। ओरिएंटल बीमा

कंपनी लिमिटेड और अन्य 2014 (3) आर. सी. आर. (सिविल) 1018;

इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम लेहरू (2003) 3 एससीसी 338 [2003] 2 एस. सी. आर. 495; लखमी चंद बनाम रिलायंस

सामान्य बीमा (2016) 3 एससीसी 100; ओरिएंटल

बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम मीना वरियाल और अन्य (2007)

5 एससीसी 428: [2007] 4 एससीआर 641; एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

वी. रेशमा और अन्य (2015) 3 एस. सी. सी. 679; पूर्ण कला

देवी वी. असम और अन्य राज्य (2014) 14 एस. सी. सी

- संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

4] 4 पूरक। एससीआर 587

संदर्भित किया गया है

पैरा 3

संदर्भित किया गया है

पैरा 4

(3) आर. सी. आर. (सिविल) 101

संदर्भित किया गया है

पैरा 4

(3) आर. सी. आर. (सिविल) 634

संदर्भित किया गया है

पैरा 4

एसएसीजे 1793

उस पर भरोसा करें

4] 1 एससीआर 180

पैरा 12

3] 2 एससीआर 495

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

6) 3 एससीसी 100

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

4 एससीआर 641

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

5) 3 एस. सी. सी. 679

संदर्भित किया गया है

पैरा 19

संदर्भित किया गया है

4) 14 एस. सी. सी. 142

पैरा 19

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2

18 .

एफ. ए. ओ. No.1702/2016 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 10.08.2016 से।

18] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सुधीर वालिया, सुश्री निहारिका अहलूवालिया, अभिषेक अत्रे, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

अमित कुमार सिंह, श्रीमती के. एनाटोली सेमा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दीपक मिश्रा, सीजेआई 1. के कानूनी प्रतिनिधि

दूसरे प्रतिवादी के पति, मृतक जागीर सिंह ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 (संक्षिप्तता के लिए, 'अधिनियम') के तहत 2013 का एम. ए. सी. टी. मामला संख्या 70 होने के कारण मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, पठानकोट (संक्षेप में, 'न्यायाधिकरण') के समक्ष मुआवजे का दावा करते हुए एक याचिका दायर की। 36,00,000 / - . दावा याचिका इस आधार पर दायर की गई थी कि 19.02.2013 पर, जागीर सिंह अपनी मोटर साइकिल पर पठानकोट की यात्रा कर रहे थे और उस समय, अस्थायी पंजीकरण संख्या वाला उल्लंघन करने वाला ट्रक। पी. बी.-06-6894 जो अपीलार्थी संख्या 2 से संबंधित है, जल्दबाजी और लापरवाही से चलाए गए वाहन ने मृतक की मोटर साइकिल को टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप उसे कई चोटें आईं, और अंततः,

अस्पताल ले जाते समय उन्होंने दम तोड़ दिया। सामने रखे गए दावे को कई आधारों पर बनाए रखने की मांग की गई थी, जिन्हें स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है।

2. बीमाकर्ता, यहाँ प्रथम प्रतिवादी, ने इस आधार पर दावे का विरोध किया कि विचाराधीन वाहन का उल्लंघन करते हुए चलाया गया था बीमा पॉलिसी की शर्तें और इसके अलावा चालक के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और इसलिए, यह बीमित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य नहीं था। इसके अलावा, एक स्टैंड लिया गया था कि दुर्घटना की तारीख को वाहन के पास परमिट नहीं था। वाहन के मालिक और चालक की ओर से यह दावा किया गया कि वाहन का बीमा बीमा पॉलिसी के अनुसार पहले प्रतिवादी के साथ किया गया था, कि वाहन पंजीकृत था और चालक के पास आवश्यक ड्राइविंग लाइसेंस था। इसके अतिरिक्त, उल्लंघन करने वाले ट्रक के रूट परमिट की प्रति रिकॉर्ड में लाई गई थी।

3. न्यायाधिकरण ने नोट किया कि वाहन सितंबर में खरीदा गया था

2012 और 20.12.2012 पर बीमाकृत। यह 26.02.2013 पर पंजीकृत था। दुर्घटना, जैसा कि पहले बताया गया है, 19.02.2013 पर हुई। न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय बीमा में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा रखते हुए

कं. लिमिटेड बनाम। चल्ला भरतम्मा और अन्य 1 ने माना कि बीमाकर्ता

1 (2004) 8 एससीसी 517 अमृत पॉल सिंह और ए. एन. आर. वी. टाटा एयरलाइंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। लिमिटेड। & ओआरएस। [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

उत्तरदायी नहीं था और मुआवजे की राशि की मात्रा निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ा और इसे रुपये में निर्धारित किया। 15,63,120 / - . न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया कि बीमाकर्ता द्वारा पुरस्कार की तारीख से इसकी प्राप्ति तक 9 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ राशि का भुगतान किया जाए और वाहन के मालिक और चालक से इसकी वसूली की जाए। पुरस्कार पूरा होने तक विचाराधीन ट्रक को कुर्क करने के लिए एक और निर्देश दिया गया था।

4. न्यायाधिकरण द्वारा 2016 के एफ. ए. ओ. सं. 1702 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष पारित दिनांक 1 के निर्णय को चुनौती दी गई थी। अपील में यह तर्क दिया गया था कि अपीलकर्ता संख्या 2, उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक ने आवश्यक राशि जमा की थी। रूट परमिट जारी करने के लिए 19.02.2013 पर आवेदन के साथ शुल्क और वही 27.02.2013 पर जारी किया गया था। यह भी आग्रह किया गया कि जब वाहन के मालिक ने पहले ही आवश्यक शुल्क के साथ परमिट देने के लिए परिवहन कार्यालय में दस्तावेज जमा कर दिए थे, तो न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि वाहन को वैध परमिट के बिना चलाया जा रहा था। प्रस्तुतियों के समर्थन में, अशोक कुमार खेमक बनाम पर भरोसा रखा गया था। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य 2, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम। कमलेश कौर और अन्य 3 और मोती राम बनाम। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और अन्य 4.

5. उच्च न्यायालय ने अनुलग्नक ए-1 की जांच की जो इस रुख को सही ठहराने के लिए दायर किया गया था कि मार्ग परमिट जारी करने के लिए आवेदन था

सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उसी की जांच पर यह माना गया कि मालिक यह स्थापित करने में सक्षम नहीं था कि उसने दुर्घटना से पहले परमिट जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। अधिनियम की धारा 66 का उल्लेख करते हुए और चल्ला भरतम्मा मामले पर भरोसा रखते हुए, उच्च न्यायालय ने राय दी कि यह मानते हुए भी कि मालिक ने दुर्घटना से पहले ही परमिट देने के लिए आवेदन कर दिया था, वही मालिक को वाहन चलाने का अधिकार नहीं देगा। यह ध्यान देने योग्य है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने समक्ष उद्धृत निर्णयों को अलग किया और परिणामस्वरूप, न्यायाधिकरण के निर्णय की पुष्टि की।

6. हमने अपीलार्थियों के विद्वान वकील श्री सुधीर वालिया और अधिवक्ता श्री अमित कुमार सिंह को सुना है।

उत्तरदाता-बीमाकर्ता। 7. न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए निष्कर्ष स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि दुर्घटना 19.02.2013 पर हुई थी

22014 (3) आरसीआर (सिविल) 1018 3 3 2006 (3) आरसीआर (सिविल) 634 42015 एसीजे 1793 [2018] 6 एस. सी. आर.

अधिनियम की धारा 2 (28) और 2 (31) के संबंध में जो "मोटर वाहन" को परिभाषित करती है। या "वाहन" और "परमिट" नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

" (28) " मोटर वाहन "या" वाहन "का अर्थ है सड़कों पर उपयोग के लिए अनुकूलित कोई भी यांत्रिक रूप से संचालित वाहन, चाहे प्रणोदन की शक्ति किसी बाहरी या आंतरिक वाहन से वहां प्रेषित की गई हो।

स्रोत और इसमें एक चेसिस शामिल है जिसमें एक शरीर संलग्न नहीं किया गया है और एक ट्रेलर शामिल है; लेकिन इसमें स्थिर पर चलने वाला वाहन शामिल नहीं है।

रेल या एक विशेष प्रकार का वाहन जो केवल एक कारखाने में या किसी अन्य संलग्न परिसर में उपयोग के लिए अनुकूलित हो या एक वाहन जिसमें चार पहियों से कम बीस से अधिक की इंजन क्षमता हो।

पाँच घन सेंटीमीटर;

(31) " परमिट "का अर्थ है किसी राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण या इस अधिनियम के तहत इस संबंध में निर्धारित प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया परमिट जो परिवहन के रूप में मोटर वाहन के उपयोग को अधिकृत करता है। वाहन; "

दोनों परिभाषाओं के अवलोकन पर, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि एक के उपयोग के लिए अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा परमिट जारी किया जाना चाहिए परिवहन वाहन के रूप में मोटर वाहन। "उपयोग" के साथ-साथ "परिवहन वाहन" शब्दों पर जोर दिया जाता है।

8. धारा 2 (47) में कहा गया है कि "परिवहन वाहन" का अर्थ है सार्वजनिक वाहन।

सेवा वाहन, माल गाड़ी, शैक्षणिक संस्थान की बस या निजी सेवा वाहन। धारा 66 परमिट की आवश्यकता को निर्धारित करती है। इसकी उप-धारा (1) में यह प्रावधान है कि मोटर वाहन का कोई भी मालिक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर परिवहन वाहन के रूप में वाहन का उपयोग या अनुमति नहीं देगा, चाहे वह वाहन वास्तव में किसी यात्री या सामान को ले जा रहा हो या नहीं, सिवाय इसके कि उसके द्वारा दिए गए या प्रति-हस्ताक्षरित परमिट की शर्तों के अनुसार।

क्षेत्रीय या राज्य परिवहन प्राधिकरण या कोई निर्धारित प्राधिकरण। वाहन के उपयोग और माल वाहन के परिवहन के उद्देश्य के लिए शर्तों को निर्धारित करने वाले मुख्य प्रावधान में विभिन्न प्रावधान जोड़े गए हैं। उप-धारा (2) में कहा गया है कि माल ढोने की अनुमति का धारक किसी भी ट्रेलर या अर्ध-ट्रेलर को खींचने के लिए वाहन का उपयोग कर सकता है, जो उसके स्वामित्व में नहीं है, बशर्ते ऐसी शर्तें हों जो निर्धारित की जाएं। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि 1994 के अधिनियम 54 द्वारा एक परंतुक जोड़ा गया है जो 14.11.1994 से प्रभावी है जो किसी भी स्पष्ट वाहन के परमिट धारक को किसी अन्य के लिए उस स्पष्ट वाहन के प्रमुख चालक का उपयोग करने की अनुमति देता है। अर्ध-ट्रेलर। धारा 2 (2) "आर्टिकुलेटेड वाहन" को एक मोटर वाहन के रूप में परिभाषित करता है जिससे एक अर्ध-ट्रेलर जुड़ा होता है।

अमृत पॉल सिंह और ए. एन. आर. वी. टाटा एयरलाइंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। लिमिटेड। & ओआरएस। [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

9. यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि धारा 66 की उप-धारा (3) नक्काशी है।

उप-धारा (1) के अपवादों को समाप्त करना। उप-धारा का प्रासंगिक भाग

नीचे निकाला गया हैः

(क) केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले किसी भी परिवहन वाहन के लिए या एक राज्य सरकार और सरकारी उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है

किसी भी वाणिज्यिक उद्यम से असंबद्ध;

((ख) किसी स्थानीय प्राधिकरण या प्राधिकरण के स्वामित्व वाले किसी भी परिवहन वाहन को

स्थानीय प्राधिकरण के साथ अनुबंध के तहत कार्य करने वाला व्यक्ति और केवल उपयोग किया जाता है

सड़क की सफाई, सड़क को पानी देने या संरक्षण उद्देश्यों के लिए;

(ग) केवल पुलिस, अग्निशमन दल के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी परिवहन वाहन या

एम्बुलेंस उद्देश्यों;

(घ) केवल परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी परिवहन वाहन के लिए

लाशों और शवों के साथ शोक मनाने वाले;

(ई) किसी विकलांग वाहन को खींचने के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी परिवहन वाहन के लिए या

विकलांग वाहन से माल को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए; (च) किसी अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी परिवहन वाहन के लिए

इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है;

(छ) निर्माण करने वाले व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी परिवहन वाहन के लिए

या मोटर वाहनों में सौदा करता है या चेसिस से लगाव के लिए निकाय बनाता है,

केवल ऐसे उद्देश्यों के लिए और ऐसी शर्तों के अनुसार जैसा कि केंद्र सरकार आधिकारिक में अधिसूचना द्वारा कर सकती है

राजपत्र, इस संबंध में निर्दिष्ट करें;

(ज)

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

((i) किसी भी माल वाहन के लिए, जिसका सकल वाहन वजन 3, 000 किलोग्राम से अधिक नहीं;

(जे) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो केंद्र सरकार द्वारा किसी भी परिवहन वाहन के लिए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना, निर्दिष्ट करें

एक राज्य में खरीदा गया और उस में स्थित एक स्थान पर आगे बढ़ रहा है

राज्य या किसी अन्य राज्य में, बिना किसी यात्री को ले जाए या

(के) किसी भी परिवहन वाहन के लिए जो अस्थायी रूप से पंजीकृत किया गया है धारा 43 के तहत किसी भी स्थान पर खाली जाते समय

वाहन के पंजीकरण का उद्देश्य; [2018] 6 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(1)

एक्स

एक्स

एक्स

(एम) किसी भी परिवहन वाहन को, जो बाढ़, भूकंप या भूकंप के कारण हो।

कोई अन्य प्राकृतिक आपदा, सड़क पर बाधा, या अप्रत्याशित परिस्थितियों को किसी अन्य मार्ग से मोड़ना आवश्यक है,

चाहे वह राज्य के भीतर हो या बाहर, इसे सक्षम करने की दृष्टि से

अपने गंतव्य तक पहुँचें;

(एन) केंद्रीय उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी परिवहन वाहन के लिए

(ओ) किसी भी परिवहन वाहन के लिए जो किराया-खरीद के अधीन है, पट्टा या परिकल्पना समझौता और जो डिफ़ॉल्ट के कारण

मालिक का अधिकार उसके द्वारा या उसकी ओर से ले लिया गया है। वह व्यक्ति जिसके साथ मालिक ने ऐसा समझौता किया है,

ऐसे मोटर वाहन को अपने गंतव्य तक पहुँचाने में सक्षम बनाना; या (पी) किसी भी स्थान पर खाली जाते समय किसी भी परिवहन वाहन के लिए

मरम्मत के उद्देश्य से "।

10. हाथ में मामले में, निष्कर्षों से पता चलेगा कि अपीलार्थी

नंबर 2 के पास वाहन के लिए परमिट नहीं था। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि वाहन का शुरू में एक अस्थायी पंजीकरण था और अंत में स्थायी पंजीकरण था। यह अपीलार्थियों का रुख है कि न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने इस बात की सराहना नहीं की कि वाहन की चेसिस को उस शव पर भेजा गया था जहां ट्रक का शव गढ़ा गया था और जब वाहन को कार्यस्थल से बाहर निकाला गया था तो किस समय वह दुर्घटना का शिकार हुआ था। एक तर्क दिया गया है कि बीमा पॉलिसी प्रासंगिक समय पर लागू थी और इसलिए, बीमाकर्ता कानूनी रूप से बीमित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य है। अधिनियम की धारा 149 के संदर्भ में "रूट परमिट" और "परमिट" के बीच अंतर किया जाना चाहिए। धारा 149 (2) उन आधारों का प्रावधान करती है जिन्हें बीमाकर्ता द्वारा बचाव के रूप में लिया जा सकता है। यह बीमाकर्ता को इस आधार पर बचाव करने में सक्षम बनाता है कि पॉलिसी की एक विशिष्ट शर्त का उल्लंघन हुआ है, अर्थात्, (i) एक ऐसी शर्त जिसमें वाहन का उपयोग शामिल नहीं है, (ए) किराए या इनाम के लिए, जहां वाहन बीमा अनुबंध की तारीख को है, एक ऐसा वाहन जो परमिट द्वारा कवर नहीं किया गया है।

किराया या पुरस्कार के लिए, या (बी) संगठित दौड़ और गति परीक्षण के लिए, या (सी) उस उद्देश्य के लिए जिसकी अनुमति उस परमिट द्वारा नहीं दी गई है जिसके तहत वाहन किराए पर लिया गया है।

उपयोग किया जाता है, जहां वाहन एक परिवहन वाहन है, या (डी) बिना साइड-कार को संलग्न किया जा रहा है जहां वाहन एक मोटर साइकिल है। इसके अलावा, यह बीमाकर्ता को एक ऐसी शर्त से संबंधित मुद्दा उठाने का भी अधिकार देता है जिसमें अमृत पॉल सिंह और ए. एन. आर. शामिल नहीं हैं।

वी. टाटा एयरलाइंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। लिमिटेड। & ओआरएस। [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

किसी नामित व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे विधिवत लाइसेंस प्राप्त नहीं है या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे अयोग्यता की अवधि के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस रखने या प्राप्त करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है या जिसमें शामिल नहीं है

युद्ध, गृहयुद्ध, दंगा या नागरिक हंगामे की स्थितियों के कारण या योगदान के लिए देयता। बीमाकर्ता द्वारा एक और बचाव जिसका लाभ उठाया जा सकता है वह यह है कि पॉलिसी इस आधार पर अमान्य है कि इसे भौतिक तथ्य के गैर-प्रकटीकरण या अधिनियम के प्रतिनिधित्व द्वारा प्राप्त किया गया है जो विशेष रूप से सामग्री में गलत है। 11. मालिक और चालक द्वारा दायर लिखित बयान के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि दुर्घटना का तथ्य हुआ था

विचाराधीन वाहन को अस्वीकार कर दिया गया था। इसके अलावा, देयता से इनकार भी है जो उस तरीके से संबंधित है जिसमें दुर्घटना हुई थी जैसा कि दावा याचिका में आरोप लगाया गया है। न्यायाधिकरण के समक्ष बीमाकर्ता का यह विशिष्ट दावा था कि वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा था, क्योंकि उसके पास मार्ग परमिट नहीं था। न्यायाधिकरण, अभिलेख पर लाई गई सामग्री के आधार पर इस प्रभाव के लिए कि मार्ग परमिट 27.02.2013 पर जारी किया गया था और दुर्घटना पर हुई थी

19.02.2013 , एक निष्कर्ष वापस किया कि विचाराधीन वाहन के पास परमिट नहीं था। जैसा कि पहले कहा गया है, उच्च न्यायालय ने भी इसकी पुष्टि की है।

12. अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि

तथ्यात्मक मैट्रिक्स प्राप्त करने पर, उल्लंघन बीमाकर्ता को धारा 149 के संदर्भ में निर्णय और पुरस्कार को संतुष्ट करने से दोषमुक्त नहीं करेगा।

अधिनियम। उन्होंने राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले से प्रेरणा ली है। स्वर्ण सिंह और अन्य। उक्त मामले में, न्यायालय अधिनियम की धारा 149 की उप-धारा (4) और (5) से जुड़े परंतुक के संबंध में धारा 149 (2) (ए) (ii) की व्याख्या पर विचार कर रहा था। यह मुद्दा केंद्रीय रूप से आवश्यकता से संबंधित था

ड्राइविंग लाइसेंस होना। विभिन्न प्रावधानों को अपनाने के बाद, न्यायालय ने तीसरे पक्ष के अधिकार की मौलिक अवधारणा पर भी विचार किया। ध्यान दें।

लाभकारी विधान की प्रकृति के अनुसार होने के कारण, न्यायालय ने कहाः

" 39. यह सवाल कि क्या कोई बीमाकर्ता मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 96 की उप-धारा (2) के अनुरूप अधिनियम की धारा 149 की उप-धारा (2) में परिकल्पित बचाव करने की स्थिति में अपने दायित्व से बच सकता है, विषय था।

बड़ी संख्या में मामलों में निर्णय लेना।

3 (2004) 3 एस. सी. सी. 297 [2018] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13. अदालत ने सवाल उठाया कि क्या कोई बीमाकर्ता कर सकता है

उप में परिकल्पित रक्षा को बढ़ाने की स्थिति में इसका दायित्व

मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 96 की उप-धारा (2) के अनुरूप अधिनियम की धारा 149 की धारा (2) पर। न्यायालय ने विश्लेषण किया कि

धारा 149 की उप-धारा (2) में नियोजित आयु, विशेष रूप से खंड

और, उसी की जांच करने और विभिन्न अधिकारियों को संदर्भित करने के बाद, घः

" 69. कानून का प्रस्ताव अब एकीकृत नहीं है कि व्यक्ति

जो उल्लंघन का आरोप लगाता है उसे वही साबित करना होगा। बीमा कंपनी

बीमा कंपनी को उसके दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता है। (सोहन को देखें। लाल पासी)

70. उपरोक्त के अलावा, हम कुछ भी निर्धारित करने का इरादा नहीं रखते हैं

आगे अर्थात प्रमाण की डिग्री जो उपरोक्त को संतुष्ट करेगी आवश्यकता निर्विवाद रूप से इस पर निर्भर करेगी

प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ। यह भी निर्भर करेगा

बीमा अनुबंध की शर्तों पर। प्रत्येक मामला एक हो सकता है

एक अलग समस्या जिसे एक बड़े मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हल किया जाना चाहिए

पक्षों के आचरण सहित मामले को नियंत्रित करने वाले कारकों की संख्या

सूचना देने, सही प्रकटीकरण, दमन, धोखाधड़ी के कर्तव्य के संबंध में बीमाकर्ता आदि पर। यह इस तथ्य पर भी निर्भर करेगा कि कौन है।

वाहन का स्वामी और वे परिस्थितियाँ जिनमें वाहन

एक ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था जिसके पास कोई वैध और प्रभावी लाइसेंस नहीं था।

इसके लिए कोई कठोर और तेज़ नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अगर एक दिए गए में यदि प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है

बीमाकर्ता या बीमाकृत के विरुद्ध न्यायाधिकरण ऐसा कर सकता है। उल्लंघन का आरोप लगाने वाले पक्षों को सफल माना जाना चाहिए

बीमा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन स्थापित करना,

बीमाकर्ता की ओर से सबूत के अपने बोझ का निर्वहन करके। द. न्यायाधिकरण, कोई संदेह नहीं हो सकता है, एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए

अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का आधार।

71. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, उप-धाराओं के प्रावधान

(4) और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 149 की धारा (5) डिक्री को संतुष्ट करने के लिए बीमाकर्ता के दायित्व के रूप में माना जाएगा

पहले मामले में।

एक्स

एक्स

एक्स

एन लाल पासी बनाम। पी. शेष रेड्डी और अन्य, (1996) 5 एससीसी 21 अमृत पॉल सिंह और एएनआर।

वी. टाटा एयरलाइंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। लिमिटेड। & ओआरएस। [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

83. धारा 149 की उप-धारा (5) जो उस पर दायित्व अधिरोपित करती है

बीमाकर्ता को भी इसका पूरा प्रभाव दिया जाना चाहिए। बीमा कंपनी

डिक्री को संतुष्ट करने के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता है और इसलिए, इसका दायित्व

शून्य हो सकता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसका प्रारंभिक दायित्व नहीं था

बिल्कुल भी। इस प्रकार, यदि बीमा कंपनी को कोई भी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है

राशि, यह तीसरे पक्ष को भुगतान की गई पूरी राशि की वसूली कर सकता है

उद्देश्य, हम एक ऐसी स्थिति देखने में विफल रहते हैं जहां लाभकारी प्रावधान कर सकते हैं प्रभाव दिया जाए। अधिनियम की धारा 149 की उप-धारा (7) से

जिसने न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है विद्वान द्वारा

याचिकाकर्ता का वकील, जो नकारात्मक भाषा में है, अब हो सकता है

गौर किया जाए। उक्त प्रावधान को उप-धारा (1) के साथ पढ़ा जाना चाहिए। वहाँ से। उप-धारा (2) के संदर्भ में दायित्व से बचने का अधिकार

धारा 149 प्रतिबंधित है जैसा कि यहाँ पहले चर्चा की गई है। यह है।

कहने के लिए एक बात यह है कि बीमा कंपनियां जुटाने की हकदार हैं

एक बचाव लेकिन यह कहना दूसरी बात है कि इस तथ्य के बावजूद कि इसका बचाव पक्ष को तथ्यों को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किया गया है और

मामले की परिस्थितियों में, न्यायाधिकरण के पास उन्हें निर्देश देने की शक्ति है पहले आदेश को संतुष्ट करना और फिर प्रत्यक्ष वसूली करना।

मालिक से भी। ये दोनों मामले अलग हैं और

प्रासंगिक पढ़ने की आवश्यकता है। ”

[जोर दिया गया]

14. हम सार्थक रूप से ध्यान दे सकते हैं कि तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा

ऐसी स्थितियों में जहां चालक के पास लाइसेंस नहीं है और उसे ऐसे व्यक्ति द्वारा वाहन के मालिक द्वारा चलाने की अनुमति दी गई है, बीमाकर्ता बचाव में सफल होने और दायित्व से बचने का हकदार होगा, लेकिन स्थिति अलग होगी जहां तथ्य का विवादित प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या चालक के पास वैध लाइसेंस था और जहां वाहन के मालिक ने बीमा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया है और साथ ही किसी भी व्यक्ति को सचेत

रूप से वाहन चलाने की अनुमति देकर अधिनियम के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया है, जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।

15. न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि तथ्यों के आधार पर यह पाया जाता है कि दुर्घटना

केवल कुछ अन्य अप्रत्याशित या हस्तक्षेप के कारण हुआ था बीमाकर्ता [2018] 6 एस. सी. आर. के पास आवश्यक प्रकार का लाइसेंस नहीं होने के कारण जैसे यांत्रिक विफलताएं और इसी तरह के अन्य कारण जिनका चालक के साथ कोई संबंध नहीं है।

केवल ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित शर्तों के तकनीकी उल्लंघन के लिए अपने दायित्व से बचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, मामूली और

अनुज्ञप्ति की शर्तों के संबंध में असंगत विचलन तीसरे पक्ष को बीमा कवरेज के लाभ से वंचित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगा। अदालत जिन अन्य श्रेणी के मामलों को संबोधित करती है, उनमें ऐसे मामले शामिल हैं जहां चालक का लाइसेंस नकली पाया जाता है। उस संदर्भ में, न्यायालय ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ अपना सामान्य समझौता व्यक्त किया। लेहरू 'और इस प्रकार कहाः

" 92. ..... लेहरू मामले में कुछ मामलों में इस मामले पर विचार किया गया है।

पीठ लेकिन हम यह इंगित करना चाहते हैं कि उसमें की गई टिप्पणियाँ समझा जाना चाहिए कि के प्रकाश में बनाया गया है

कानून की आवश्यकताएँ जिनके संदर्भ में बीमाकर्ता को स्थापित करना है बीमित व्यक्ति की ओर से जानबूझकर उल्लंघन और इसके उद्देश्य के लिए नहीं

किसी भी बचाव को उठाने या मालिकों के लिए इसकी अयोग्यता

किसी भी दायित्व से मुक्त किया जाए।

16. तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने अपने निष्कर्षों का सारांश दिया और हम

उसी के प्रासंगिक भाग को पुनः प्रस्तुत करना उचित समझते हैंः

" 110. ((iii) नीति शर्त का उल्लंघन जैसे-अयोग्यता

चालक का चालक लाइसेंस या अमान्य ड्राइविंग लाइसेंस, जैसा कि इसमें निहित है

धारा 149 की उप-धारा (2) (ए) (ii) को साबित करना होगा -

केवल अनुपस्थिति, नकली या अमान्य ड्राइविंग लाइसेंस या अयोग्यता संबंधित समय पर गाड़ी चलाने के लिए चालक अपने आप में नहीं हैं

बीमाकर्ता के लिए बीमाकृत या बीमाकृत के खिलाफ उपलब्ध बचाव

तीसरे पक्ष। बीमाकृतक प्रति अपन दायित्वसँ बचबाक लेल बीमाकर्ता

यह साबित करना होगा कि बीमित व्यक्ति लापरवाही का दोषी था और असफल रहा शर्त को पूरा करने के मामले में उचित देखभाल करना

विधिवत लाइसेंस प्राप्त चालक द्वारा वाहनों के उपयोग के संबंध में नीति या

जिसे संबंधित समय पर गाड़ी चलाने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया था।

एक्स

एक्स

एक्स

ए
क्स

(vi) जहाँ भी बीमाकर्ता उल्लंघन साबित करने में सक्षम है बीमाकृत, पॉलिसी धारण करने के संबंध में पॉलिसी की शर्त से संबंधित

प्रासंगिक अवधि में बीमाकर्ता को अपने दायित्व से बचने की अनुमति नहीं होगी। बीमित व्यक्ति की ओर जब तक कि उक्त उल्लंघन या उल्लंघन न हो

(2003) 3 एससीसी 338 अमृत पॉल सिंह और ए. एन. आर. वी. टाटा एयरलाइंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। लिमिटेड। & ओआरएस। [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

ड्राइविंग लाइसेंस की शर्त इतनी बुनियादी है/हैं कि दुर्घटना के कारण में योगदान दिया है। नीतिगत शर्तों की व्याख्या करने में न्यायाधिकरण "मुख्य उद्देश्य का नियम" और "मौलिक उल्लंघन" की अवधारणा को लागू करेंगे।

अधिनियम की धारा 149 (2) के तहत बीमाकर्ता को उपलब्ध बचाव।

(vii) यह प्रश्न कि क्या मालिक ने यह पता लगाने के लिए उचित सावधानी बरती है कि क्या चालक द्वारा प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसेंस (नकली या अन्यथा) कानून की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है या नहीं, प्रत्येक मामले में निर्धारित करना होगा।

17. अपीलार्थियों के विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि नीतिगत शर्तों का कोई मौलिक उल्लंघन नहीं हुआ है। इस संदर्भ में, हम लाभप्रद रूप से चल्ला भारतम्मा (ऊपर) में निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं।

जिसमें दो-न्यायाधीशों की पीठ ने परमिट की अनुपस्थिति पर स्पष्ट रूप से विचार किया और फैसला सुनाया कि परमिट के बिना वाहन चलाना एक उल्लंघन है और बीमाकर्ता उत्तरदायी नहीं है। 18. लखमी चंद बनाम। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, न्यायालय राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एन. सी. डी. आर. सी.) द्वारा पारित एक आदेश से चिंतित था जिसने राहत देने से इनकार कर दिया था।

उसमें याचिकाकर्ता को। उक्त मामले में बीमाकर्ता ने याचिका दायर की थी कि शिकायतकर्ता ने पॉलिसी के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया था, क्योंकि दुर्घटना के समय पांच यात्री माल ले जाने वाले वाहन में यात्रा कर रहे थे, जबकि अपीलार्थी के मोटर वाहन की अनुमत बैठने की क्षमता केवल 1 + थी। 1. दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम. मीना वरियाल और अन्य 'और

इस विचार को व्यक्त किया कि देयता से बचने के लिए, बीमाकर्ता को यह स्थापित करना चाहिए कि बीमित व्यक्ति की ओर से उल्लंघन किया गया था।

19. प्राप्त तथ्य स्थिति को उक्त मामले में तथ्यात्मक अंक के साथ तुलना करने की कोशिश की जाती है। इस संबंध में, एच. डी. एफ. सी. बैंक लिमिटेड बनाम में पीठ के निर्णय का उल्लेख करना उपयोगी है। रेशमा और अन्य। द.

न्यायालय के समक्ष जो मुद्दा उठा वह यह था कि क्या वित्तपोषक मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था या यह उधारकर्ता का दायित्व था। न्यायाधिकरण ने यह निष्कर्ष वापस कर दिया था कि वित्तपोषक का कर्तव्य यह देखना था कि उधारकर्ता ने वाहन का बीमा कराने में लापरवाही नहीं की और इसलिए, यह मालिक के साथ संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी था। उच्च न्यायालय ने

8 (2016) 3 एससीसी 100 9 (2007) 5 एस. सी. सी. 428

10 (2015) 3 एस. सी. सी. 679 [2018] 6 एस. सी. आर.

उक्त निष्कर्ष से सहमत थे। न्यायालय ने पूर्ण कला देवी बनाम का उल्लेख किया। असम राज्य और अन्य 1 1 1 जिसने अधिनियम की धारा 2 (30) में निहित "मालिक" शब्द की परिभाषा पर विचार किया है। उक्त मामले में, विचाराधीन वाहन कानून के प्रावधानों के तहत असम राज्य की मांग के तहत था। उस संदर्भ में, न्यायालय ने व्यक्त किया है किः

" 16. ..... उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि प्रासंगिक समय पर उल्लंघन करने वाला वाहन असम अधिनियम के प्रावधानों के तहत असम के प्रतिवादी 1 राज्य की मांग के तहत था।

अनुमान या किराया-खरीद समझौते के तहत इस प्रभाव के लिए कि वाहन के नियंत्रण और कब्जे वाले व्यक्ति को 'मालिक' के रूप में माना जाना चाहिए, न कि केवल पंजीकृत मालिक के रूप में। द. उच्च न्यायालय आगे इस विधायी इरादे की सराहना करने में विफल रहा कि वाहन के पंजीकृत मालिक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए यदि वाहन उसके कब्जे और नियंत्रण में नहीं था। उच्च न्यायालय यह समझने में भी विफल रहा कि 1988 के अधिनियम की धारा 146 के अनुसार कोई भी व्यक्ति बीमा पॉलिसी के बिना सार्वजनिक स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को मोटर वाहन का उपयोग करने या करने या उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा।

1988 के अधिनियम के अध्याय 11 की आवश्यकताओं को पूरा करना और

राज्य सरकार ने 1988 के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

अधिनियम "।

20. यह ध्यान दिया जाए कि उक्त मामले में, अधिनियम की धारा 146 के पीछे विधायी इरादे को ध्यान में रखते हुए राज्य पर दायित्व तय किया गया था।

कोई भी व्यक्ति बीमा पॉलिसी के बिना सार्वजनिक स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को मोटर वाहन का उपयोग करने या करने या उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा क्योंकि यह अधिनियम के तहत अनिवार्य वैधानिक आवश्यकता है। वाहन के कब्जे और नियंत्रण पर जोर दिया गया और तदनुसार असम राज्य पर दायित्व तय किया गया।

21. एच. डी. एफ. सी. बैंक लिमिटेड (ऊपर) में, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने राय दी कि परिकल्पना समझौते से यह नहीं पता चलता है कि अपीलकर्ता वित्तदाता मालिक बन गया था और उसके नियंत्रण और कब्जे में था।

1 1 (2014) 14 एस. सी. सी. 142 अमृत पॉल सिंह और ए. एन. आर. वी. टाटा एयरलाइंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। लिमिटेड। & ओआरएस। [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

वाहन। बीमे के पूर्ण भुगतान के बिना विक्रेता से वाहन लेना प्रतिवादी संख्या 2 की पूर्ण गलती थी, विशेष रूप से

जब अभिलेख पर कुछ भी नहीं लाया गया था कि उक्त तथ्य अपीलार्थी वित्तपोषक को ज्ञात था या यह कि यह वित्तपोषक के साथ मिलीभगत से किया गया था।

22. न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब विधायिका का इरादा है

23. हाथ में मामले में, यह रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि दुर्घटना के समय वाहन ने नहीं किया था परमिट लें। अपीलकर्ताओं ने यह रुख अपनाया था कि वाहन दुर्घटना में शामिल नहीं था। इसके अलावा, उन्होंने यह नहीं बताया था कि वाहन के पास अस्थायी परमिट था या किसी अन्य प्रकार का परमिट। अधिनियम की धारा 66 के तहत जो अपवाद बनाए गए हैं, उन पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है और उन्हें साबित किया जाना चाहिए। अपवाद नहीं हो सकते

दायित्व से मुक्ति पाने के लिए तर्क के दौरान सहायता ली गई। बिना परमिट के सार्वजनिक स्थान पर वाहन का उपयोग एक मौलिक बात है।

वैधानिक उल्लंघन। हम धारा 66 में उत्कीर्ण अपवादों की श्रृंखला को देखते हुए ऐसा सोचने के लिए तैयार हैं। उक्त स्थितियों को लाइसेंस की अनुपस्थिति या नकली लाइसेंस या विभिन्न प्रकार के वाहन के लिए लाइसेंस, या उस मामले के लिए, अधिक संख्या में यात्रियों को ले जाने की शर्त के उल्लंघन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। इसलिए, स्वरण में निर्धारित सिद्धांत सिंह (ऊपर) और लखमी चंद (ऊपर) उस संबंध में वर्तमान मामले में लागू नहीं होंगे। इसके अलावा, बीमाकर्ता ने यह दलील दी थी कि विचाराधीन वाहन के पास कोई परमिट नहीं था। यह "त्रिपिटक" के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, कि किसी भी प्रकृति के परमिट का अस्तित्व दस्तावेजी साक्ष्य का विषय है। अभिलेख पर कुछ भी नहीं लाया गया है

यह साबित करने के लिए बीमाकृत कि उसके पास वाहन का परमिट था। ऐसी स्थिति में बीमाकर्ता पर जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती है। इसलिए, न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने बीमाकर्ता को भुगतान करने का निर्देश दिया था

दावेदारों को मुआवजे की राशि इस शर्त के साथ ब्याज के साथ दी जाएगी कि बीमाकर्ता मालिक और चालक से उसी की वसूली करने का हकदार होगा। उक्त निर्देश स्वर्ण सिंह (उपरोक्त) में बताए गए सिद्धांतों और वेतन और वेतन से संबंधित अन्य मामलों के अनुरूप हैं।

पुनर्प्राप्ति सिद्धांत।

24. उपरोक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, हम किसी को नहीं समझते हैं

ए.

अपील में योग्यता और तदनुसार, लागत के संबंध में किसी भी आदेश के बिना खारिज कर दिया जाता है।
अंकित ज्ञान